



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 28.06.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना भरथना पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.05.2024 को वादी महेश चन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी गिरधारीपुरा थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर सूचना दी गयी कि वादी की पुत्री के साथ उसका पति व अन्य मारपीट कर प्रताड़ित किया गया जिससे उसकी पुत्री द्वारा क्षुब्ध होकर दिनांक 18.05.2024 को जहरीला पदार्थ खा लिया एवं उसकी मृत्यु हो गयी ।

सूचना पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0सं0 116/2024 धारा 306 भादवि बनाम 06 नामजद पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वारंटी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.06.2024 को थाना भरथना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 116/2024 धारा 306 भादवि से संबंधित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र गिरीशचन्द्र को पागल बाबा मन्दिर के पास बने नाथ भट्टा के पास से समय 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनिल कुमार पुत्र गिरीशचन्द्र निवासी ग्राम विरौधी थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 28 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 306 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 सुरेश कुमार, का0 देवेन्द्र सिंह, का0 सोनवीर सिंह ।